



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 28.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 02 अलग-अलग मामलों में 04 अभियुक्तों को 9000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप **02 अलग-अलग मामलों में कुल 04 अभियुक्तों को कुल 9000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-**

अभियोग-

1. थाना बिसण्डा में पंजीकृत अभियोग 15/04 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. मातादीन पुत्र श्यामलाल 2. चन्द्रकली पत्नी श्यामल यादव 3. चमेलिया पत्नी श्यामलाल निवासीगण जरोहरा थाना बिसण्डा जनपद बांदा को **कुल 6000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।**
2. थाना पैलानी में पंजीकृत अभियोग 33/20 धारा 4/10 उ० प्र० सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 की अभियुक्ता पूनम सिंह पुत्री निर्भय सिंह निवासी रेहुटा थाना पैलानी जनपद बांदा को **कुल 3000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।**